राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक :– प 9 (922) परि/आरटीए/मु./02/7831 जयपुर, दिनांक : 19/7/11

अधिसूचना

भारत सरकार की अधिसूचना संख्या – S.O. 162(E) दिनांक 10.03.1993 के निर्देशानुसार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 59) की धारा 71 उप–धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राज्य परिवहन प्राधिकरण जयपुर एवं प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण जोधपुर को निम्न निर्देश जारी करती है अर्थात् :–

निर्देश

यतः राज्य सरकार का समाधान हो गया है, कि इस प्रकार की परिस्थितियां विद्यमान है कि जोधपुर शहर में मंजिली यात्री वाहनों के रूप में चलने वाले तिपहिया वाहनों की मार्गवार अधिकतम संख्या निर्धारित की जाये, अतः जोधपुर शहर में अनन्य रूप से नगर निगम क्षेत्र के नगरीय मार्गों पर चलने वाले तिपहिया मंजिली वाहनों की संख्या को सीमित करने की दृष्टि से राज्य सरकार, राज्य परिवहन प्राधिकरण जयपुर एवं प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, जोधपुर को निर्देशित करती है कि वह इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से उपरोक्त प्रकार के वाहनों के निम्न सारणी में विनिर्दिष्ठ सीमा से अधिक अनुज्ञा–पत्र स्वीकृत नहीं करेगी और यह भी निर्देशित किया जाता है कि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों के लिए, अनुज्ञा–पत्रों की निर्धारित अधिकतम संख्या का 16 प्रतिशत व 12 प्रतिशत आरक्षण अनिवार्य होगा।

सारणी

जोधपुर नगर निगम क्षेत्र में संचालित तिपहिया मंजिली वाहनों के लिए स्वीकृत मार्गों, पर अधिकतम वाहनों की संख्या/सीमा निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :–

क्र. सं.	मार्ग संख्या	मार्ग का नाम	निर्धारित सीमा
1.	4	चौपासनी से केसर बाग	127
2	6	पावटा से बनाड	52
3	8	दर्पण सिनेमा से आर.टी.ओ	46
4	16	राजीव गांधी कॉलोनी से पावटा सी रोड	33
5	30	विद्या नगर से स्टेडियम चौकी	3
6	33	पावटा से गूजरावास	7
7	35	तेलियों की मस्जिद से दर्पण सिनेमा तक	53
8	34	नान्दडी गांव से पावटा	45
9	3/27	भट्टी की बावडी से पावटा बी रोड विश्नोई होटल	127

राज्यपाल के आदेश से,

(महेन्द्र सोनी),
उप शासन सचिव (मु0)

क्रमांक :– प 9 (922) परि/आरटीए/मु./02/7832 जयपुर, दिनांक : 19/7/11

1. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्राणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 20.7.2011 मे प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित अंक की प्रति इस विभाग को भिजवाने हेतु।
2. निजी सचिव, परिवहन मंत्री जी।
3. निजी सचिव, परिवहन राज्य मंत्री।
4. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव।
5. महालेखाकार, लेखा परीक्षा–II, राजस्थान सरकार।
6. विधि एवं न्यायिक विभाग, जयपुर ।
7. समस्त मुख्यालय अधिकारी, परिवहन विभाग, जयपुर।
8. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जोधपुर।
9. श्री संजय सिंघल, कम्प्यूटर प्रोग्रामर को विभागीय बेवसाईट में अपडेट करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित है।
10. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव